

प्रधान,

श्री अमोल गोयली,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राष्ट्रीय  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा भवन, 2 नवद्वारा रोड,  
दिल्ली विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुमान

दिनांक: 7 मार्च, 1994

विषय:- ग्लोबल स्कूल कुवाडीय मारागती को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनिश्चित प्रमाण पत्र दिने जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र काने का निदेश हुआ है कि ग्लोबल स्कूल कुवाडीय मारागती को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तियों के अधीन आवंटित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की वसूलीय तैयारी का सम्यक् पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रशिक्षित स्थायी अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघानित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से / केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इंस्टिट्यूट स्कूल सर्विसेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- संस्था शिक्षक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राश्ट्रीय सहायता प्राप्ति विभाग संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्त वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

- 6- कर्मचारियों की सेवा भी बनायी जायेगी और उन्हें तथापन प्राप्त आवासकीय उद्योग माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमति सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रश्न/प्रश्निकाओं में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त शर्तियों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त शर्तियों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या अक्षमता घटती आ रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनाधिकृत प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

आशोक साहू  
उप-निर्देशक ।

पुस्तक 604111/15-7-1994 म.दिनांक  
=====

प्रतिभाषि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक जानकारी हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यमिक उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- ज्ञान विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रधानक, गेनहिल स्कूल, मुंड्याडीह, वाराणसी ।

आशा है,

*Signature*  
आशोक साहू  
उप-निर्देशक ।

FOR GLENHILL SCHOOL

*Signature*  
SECRETARY

*Signature*  
PRINCIPAL  
GLENHILL SCHOOL  
MANDUADIH  
VARANASI-221103